कार्यालय नोडल अधिकारी
जांजगीर-चाम्पा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668
दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,
Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

फार्म नंबर ....
निविदा फार्म का मूल्य ₹ 1,000.00
महाविद्यालय का रसीद क्र............
दिनांक................

सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र
(प्रपत्र ''एक'' से प्रपत्र ''चार'' तक)

जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
// महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा //

क्र./जे.सी.आई.टी.एम./सुरक्षा/2014/106(9) जांजगीर, दिनांक 31/01/2014

जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, जांजगीर-चांपा परिसर की सुरक्षा हेतु पंजीकृत सक्षम श्रेणी (ए-1 एवं उच्च श्रेणी) के ठेकेदार/फर्म से सीलबंद निविदा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कोरियर से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर ₹ 1,000/- की डी.डी./बैंकर्स चेक **''नोडल अधिकारी, जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, जांजगीर-चांपा''** के नाम से जमा कर कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की वेब साईट से भी डाऊन लोड किया जा सकता है तथा आवेदन शुल्क की राशि निविदा के साथ राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

01.	निविदा फार्म विक्रय की अंतिम तिथि	-	22/02/2014 सायं 04:00 बजे तक
02.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	-	22/02/2014 सायं 05:00 बजे तक
03.	निविदा खोलने की तिथि	-	24/02/2014 अपरान्ह 03:00 बजे तक

नोटः- निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।

महत्वपूर्ण निर्देश : निविदा की समस्त प्रक्रियाएं यथा निविदा प्राप्ति, जमा करना एवं निविदा खोलना आदि **''कार्यालय प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बाल्को-उरगा रिंग रोड, ग्राम-झगरहा, पोस्ट-रिसदी, कोरबा (छ.ग.) 495 683''** में सम्पन्न होगा। किन्तु उक्त निविदा के माध्यम से प्राप्त होने वाली सेवाओं एवं आगामी कार्यालयीन कार्यों के लिए कार्यस्थल/पता **''कार्यालय नोडल अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेण्ड्री, पोस्ट-जांजगीर, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) 495 668''** रहेगा।

(Nishant Yadav) (P. [illegible]) ([illegible])

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

कार्यालय नोडल अधिकारी
जांजगीर-चाम्पा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668
दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,
Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

- : निविदा प्रपत्र : -

प्रपत्र एक

प्रति,

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनजेमेंट
शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेण्ड्री, पोस्ट-जांजगीर,
जिला-जांजगीर चांपा, (छ.ग.) 495 668

महोदय,

जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनजेमेंट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु बुलाई गई निविदा क्रमांक/जे.सी.आई.टी.एम./सुरक्षा/2014/106(9) जांजगीर, दिनांक 31/01/2014 को / समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं महाविद्यालय द्वारा निविदा-प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करते हुए सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि ₹ 1,00,000.00 (₹ एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्र............. दिनांक......... जो................. बैंक का है तथा **"नोडल अधिकारी, जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)"** को देय है संलग्न कर रहा हूँ।

मुझे वर्तमान में सबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है : -

01. नाम व पता : ....
....
....

02. यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम एवं पता पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो व्यक्तिगत ....
....
पंजीकृत प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जावे यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो व्यक्तिगत भागिता-पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये।

03. छ.ग.शासन के पुलिस मुख्यालय : ....
द्वारा जारी जांजगीर-चांपा जिले में कार्य ....
करने की वैधता अनुज्ञप्ति पत्र (यदि अनुज्ञप्ति पत्र की वैधता समाप्त हो गई हो तो नवीनीकरण हेतु किये गये आवेदन संबंधी आवश्यक अभिलेख।) ....

(Nishant Yadav) (P. [illegible]) (प्रणय राठौर)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

04. पूर्व कार्यों के अनुभव का विवरण : ....
संबंधित संस्थान के नाम-पते एवं ....
परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देवें (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)

05. वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी : ....
आपकी ठेकेदारी में कार्यरत है।

06. वर्तमान में जहां कार्य चल रहा : ....
हो, उस संस्थान का नाम व पता ....
(समर्थन में पत्र/आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

07. सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर : ....
लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति की जावें)

08. भविष्य निधि कोड नं. एवं वर्कमेन : ....
कम्फरमेशन पालिसी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावें)

09. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट : ....
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावें)

10. शासन द्वारा प्रदायित पेन नंबर एवं : ....
टिन (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. साल्वेन्सी सर्टिफिकेट (न्यूनतम दस : ....
लाख प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. सत्र 2012 में आयकर भुगतान के : ....
चालान की छायाप्रति संलग्न करें।

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान : .... हस्ताक्षर..............................

दिनांक : .... नाम.................................

मोबाईल नं..................... मुहर................................

फैक्स नं......................

टीप : - अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। स्वयं सत्यापन के हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।

(Nishant Yadav) (P. Srivastava) (प्रणय राही)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

कार्यालय नोडल अधिकारी
जांजगीर-चाम्पा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668
दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,
Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

प्रपत्र दो

निविदा की विशेष शर्तें

01. निविदा निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर से आमंत्रित की जाती है। उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा। डाक से होने वाले विलंब के लिए महाविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा।

02. केवल वही एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जाएगी जो निम्नानुसार पात्रता रखते हो : -

(अ) जिसमें शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थानों में न्यूनतम 03 वर्ष का सुरक्षा संबंधी कार्य किया जो तथा किसी एक कार्यादेश की न्यूनतम क्षमता 50 सरुक्षा कर्मी की हो। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

(ब) जिस एजेंसी के पास ऐसे दो ठेके वर्तमान में संचालित हो, जिसका पारिश्रमिक ₹ 30 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो। (इसके समर्थन में एजेंसी का कार्यादेश/अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

03. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि महाविद्यालय द्वारा चाहा गया है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाएँ निरस्त मानी जावेगी।

04. निविदाएँ निर्धारित तिथि 24/02/2014 को **''कार्यालय प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बाल्को-उरगा रिंग रोड, ग्राम-झगरहा, पोस्ट-रिसदी, कोरबा (छ.ग.)''** में समय अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि/लिखित प्राधिकार होने पर उपस्थिति हो सकते हैं।

05. सुरक्षा एजेंसी को विवरण में समस्त शुल्का का विवरण जैसे समूह बीमा में अंश, ईपीएफ का अंश, सुरक्षा गार्ड/गनमैन/विभिन्न प्रकार के टैक्स/सेवा शुल्क तथा सुरक्षा एजेंसी का अपना सेवा शुल्क आदि देना होगा।

06. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपना सेवा शुल्क न लेने की स्थिति में यह स्पष्ट करें कि वह अपने खर्च की पूर्ति कैसे करेंगे तथा शासन द्वारा प्रदत्त सभी शर्तों का पालन किस प्रकार करेंगे।

07. सुरक्षा एजेंसी को महाविद्यालय के सभी नियम मानने होंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।

(Nishant Yadav) (P. Swarnkar) (प्रणय राही)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

08. सुरक्षा एजेंसी में संलग्न सभी सुरक्षा कर्मियों का ईपीएफ, बीमा सुरक्षा एजेंसी के द्वारा होना अनिवार्य है, जिसकी सूची संलग्न करनी होगी तथा उक्त से संबंधित संस्थाओं में जमा राशि की रसीद की छायाप्रति जमा करनी होगी।

09. सुरक्षा एजेंसी को शासन के द्वारा निर्धारित सभी करों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में देना अनिवार्य है।

10. सुरक्षा एजेंसी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर का पालन करना होगा एवं किसी भी सुरक्षा कमी को सुरक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम देय नहीं होगा।

11. यदि सुरक्षा एजेंसी का न्यूनतम दर प्राप्त होता है और शासन के करों तथा अन्य विवरण का उल्लेख नहीं है तो भी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी।

12. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से चर्चा कर दरें एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। चर्चा की तिथि महाविद्यालय अपनी सुविधानुसार निर्धारित करेगा।

13. महाविद्यालय को किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने अथवा स्वीकार न करने अथवा समस्त निविदा को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

14. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में महाविद्यालय की निर्धारित शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उन्हें चर्चा की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

15. ऐसी निविदाएँ जो सशर्त प्रस्तुत की गई है, स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

16. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेका प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि महाविद्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी।

17. निविदा के साथ अमानत की राशि ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख रूपये मात्र) जमा करना अनिवार्य है। यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। अमानत राशि **"नोडल अधिकारी/प्राचार्य, जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनजेमेंट, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)"** के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा।

(Nishant Yadav) (P. Shrivastava) (...)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668
दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,
Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

18. सफल निविदाकार को परफारमेन्स बैंक गारंटी के रूप में ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रूपये मात्र) की राशि **"नोडल अधिकारी/प्राचार्य, जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनजेमेंट, जांजगीर चांपा (छ.ग.)"** के नाम पर देय होगी।

19. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएँ महाविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी।

20. निविदाकर्ताओं का नियोजन के रूप में भविष्य निधि का स्वयं का कोड होना आवश्यक है।

21. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गऐ दर राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिए।

22. निविदाकर्ता को निविदा के साथ संलग्न पेन नंबर या आयकर निर्धारण प्रमाण पत्र की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23. निविदाकर्ता निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, जांजगीर-चांपा परिसर का अवलोकन कर ले, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति, मात्रा एवं वृहदता की जानकारी हो सके।

24. यदि दो या दो से अधिक सुरक्षा एजेन्सीयों द्वारा समान दर एवं अन्य शुल्क समान होने पर महाविद्यालय में सुरक्षा कार्य करने के अनुभव वाली सुरक्षा एजेन्सी को महाविद्यालय प्रशासन प्राथमिकता दे सकता है।

25. पिछले वित्तीय वर्ष के दरम्यान ईपीएफ एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में जमा किये गये चालानों की छायाप्रति निविदाकर्ता संलग्न करेंगे।

26. लेबर लायसेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

27. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

28. आकस्मिक दुर्घटना/धन-जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ता/ठेकेदार अपने कर्मियों की समूह पालिसी की जिम्मेदारी स्वयं निर्वाह करेंगे।

29. सफल निविदाकार को कार्य आबंटन एवं सुरक्षा की रूपरेखा दर्शित करने वाली सामग्रियां तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सुरक्षा कर्मियों एवं गनमैन सुरक्षा अधिकारियों के नाम, पते(स्थायी/

(Nishant Yadav) (P. Shrivastava) (प्रणय राही)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

अस्थायी), टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराते हुए चरित्र इत्यादि का सत्यापन निविदाकार को करना होगा।

30. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं पुलिस वेरीफिकेशन स्थायी निवास के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रमाण पत्र द्वारा उपुयक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाए जायेगे। यह निविदाकार की जबावदेही होगी।

31. किसी भी दिन निर्धारित तिथि को 2 प्रतिशत से अधिक सुरक्षा कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अन्यथा हर व्यक्ति के नाम से ₹ 300/- प्रतिदिन दण्ड राशि वेतन से कटौती की जावेगी। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था तत्काल निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा।

32. निविदा तीन पृथक-पृथक लिफाफे में अर्थात प्रथम लिफाफे में प्री क्वालीफिकेशन द्वितीय लिफाफे में अमानत राशि तथा तृतीय लिफाफे में दर अनुसूची से संबंधित विषय अंकित करते हुए तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा भेजी गयी निविदा ही मान्य की जावेगी। लिफाफे के ऊपर ''सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा तथा क्रमांक एवं दिनांक'' अंकित करना अनिवार्य होगा।

33. समस्त संलग्न छायाप्रतियाँ सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित न होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जाएगी।

34. सुरक्षा ठेके की अनुमानित राशि .... लाख वार्षिक आंकलित है।

35. सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन को लापरवाही पूर्वक ड्यूटी करते पाये जाने पर अर्थदण्ड 2 प्रतिशत कुल राशि के बिल में कटौती कर ली जावेगी।

36. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा, जो न्यायालयीन परिधि के बाहर होगा।

मै उपरोक्त उल्लेखित नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और उपरोक्त नियम एवं शर्तों से मैं सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

(Nishant Yadav) (P. Shrivastava) (प्रणय राठौर)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

कार्यालय नोडल अधिकारी
जांजगीर-चाम्पा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668
दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,
Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

-: पूर्व योग्यता जाँच सूची : -

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	पृष्ठ संख्या
01.	पेन नंबर (छायाप्रति संलग्न करें)			
02.	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण-पत्र (छ.ग. राज्य का अनिवार्य है)			
03.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन			
04.	साल्वेन्सी प्रमाण-पत्र (न्यूनतम रू. दस लाख)			
05.	भविष्य निधि प्रमाण पत्र कोड सहित			
06.	उचित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण-पत्र (छ.ग. राज्य का अनिवार्य है)			
07.	अनुभव प्रमाण-पत्र/परफार्मेंस सर्टिफिकेट			
08.	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)			
09.	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम ₹ 2 करोड़ प्रतिवर्ष रहने की सी.ए. से प्रमाणित अंकेक्षण वित्तीय पत्रक			
10.	पिछले तीन वर्षों की आयकर निर्धारण पत्रक			
11.	वर्कमेन कम्पनसेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति			
12.	अमानत हेतु निर्धारित राशि की डिमांड ड्राफ्ट जो नोडल अधिकारी, जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, जांजगीर चांपा के नाम से देय हो, संलग्न करें।			
13.	दर अनुसूचियाँ			
14.	वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम 3 माह तक ई.पी.एफ./ई.एस.आई.एवं सर्विस टेक्स जमा की चालान की प्रति संलग्न करें।			
15.	भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक हेतु जारी नवीनतम परिचय/पत्र आदेश की छायाप्रति।			
16.	संबंधित ISO Certificate			
17.	पिछले तीन वर्षों में फर्म के द्वारा कम-से-कम तीन ऐसे कार्य किये हो जो शासकीय या अर्द्ध शासकीय का होना या भारत सरकार के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालयों में हो तथा प्रत्येक कार्य की निविदा राशि न्यूनतम ₹ 30.00 लाख हो।			

(Nishant Yadav) (P. [illegible]) ([illegible])

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

कार्यालय नोडल अधिकारी
जांजगीर-चाम्पा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668
दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,
Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

प्रपत्र तीन

-: दर अनुसूची : -

महोदय,

01. जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनजेमेंट, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) परिसर में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी निविदा सूचना क्र./जे.सी.आई.टी.एम./सुरक्षा/2014/106(9) जांजगीर, दिनांक 31/01/2014 के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की गयी है जो सभी प्रकार के शुल्क सहित है।

02. मेरे/हमारे द्वारा अमानत राशि ₹ 1,00,000.00 (₹ एक लाख मात्र) बैंक ड्राफ्ट क्र............ .... दिनांक..................शाखा............................बैंक के माध्यम से जमा किया गया है, जो इस निविदा-प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है।

03. मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तावित है : -

क्र.	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (अंकों में)	दर प्रति माह (शब्दों में)
01.	सुरक्षा गार्ड प्रति शिफ्ट	₹....................	₹..
02.	टैक्स/सेवा शुल्क	₹....................	₹..
03.	सुरक्षा एजेन्सी का सेवा शुल्क	₹....................	₹..

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है, जो समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये लेबर कानून एवं नियम के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं एवं दायित्वों के पालन सहित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर..................

फर्म का नाम व पता............................

....

....

फर्म की सील/स्टाम्प..............................

फोन व मोबाईल नंबर.........................

(Nishant Yadav) (P. Swarnkar) (राजय राही)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

कार्यालय नोडल अधिकारी
जांजगीर-चाम्पा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668
दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,
Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

प्रपत्र चार

सुरक्षा ठेके की शर्तें

01. सुरक्षा ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह या अधिकतम एक वर्ष के लिए इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

02. सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर व इसके सभी भवनों एवं कार्यालयीन सम्पत्ति व परिसर की दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था करेगी।

03. सुरक्षा एजेंसी व्यवस्था ''राउंड दी क्लाक'' की जावेगी एवं संभावित होने वाली घटनाओं तथा चोरी, नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अविलंब सुरक्षा शाखा को दी जावेगी। प्रकरण में महाविद्यालय के इस नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जांच की जावेगी। जाँच उपरांत सुरक्षा एजेंसी को उत्तरदायी पाये जाने पर महाविद्यालय की जो क्षति हुई है उसकी वसूली एजेंसी के देयक से की जावेगी।

04. सुरक्षा ठेकेदार एजेंसी द्वारा महाविद्यालय परिसर में आने-जाने वाले समस्त प्रकार की सामग्रियों एवं बाहर जाने एवं अन्दर आने वाले सभी वाहनों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था करनी होगी।

05. सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंटस् एवं परिचय पत्र उपलब्ध करायेगी ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो। अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित सभी सुरक्षा कर्मचारी पासपोर्ट साईज फोटो के साथ जारी पहचान पत्र (Identity Card) धारण करेंगे, जिसमें उनका नाम, उम्र तथा स्थानीय पता (स्वयं का एवं अनुबंधकर्ता के दूरभाष/मोबाईल नंबर के साथ) दर्ज हो। उक्त पहचान-पत्र संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी/हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

(Nishant Yadav) (P. Swarnkar) (...)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

06. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी रखा जावेगा जो कि महाविद्यालय या उसके प्रतिनिधि द्वारा जांच किया जावेगा। प्रत्येक पाली में कार्यरत कर्मचारियों की सूची मय प्रमाण कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व महाविद्यालय को सौंपना होगा।

07. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जावेगा एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा ताकि आागजनी घटनाएँ घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके।

08. सुरक्षा एजेंसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि महाविद्यालय परिसर/भवन/प्रयोगशालाओं/स्टोर/प्लांट के अंदर या बाहर रखी गई सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा उसकी लिखित सूचना प्रबंधन को दी जावेगी।

09. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगी कि अनाधिकृत एवं निषिद्ध व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके।

10. सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों को महाविद्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान कर प्रबंधन के प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक पांच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा देयक के साथ एजेंसी द्वारा भुगतान किये गये वेतन-पत्रक की छायाप्रति, सत्यापित उपस्थिति पत्र तथा गत माह सुरक्षा कर्मियों से काटे गये भविष्य निधि राशि शासकीय कोष में जमा किये चालान की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे अन्यथा एजेंसी का देयक अपूर्ण मानकर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन अथवा किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो महाविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधे भुगतान कर दिया जाएगा एवं एजेंसी से उक्त राशि वसूल की जायेगी। इस प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(Nishant Yadav) (P. Shrivastava) (प्रणय राही)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

11. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध के शर्तों का उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

12. सुरक्षा एजेंसी को रिकार्ड रखने, बैठने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु महाविद्यालय द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

13. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी महाविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा एजेंसी में कार्य पर नहीं ले सकेगी।

14. सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कर्मिचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व महाविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर अथवा महाविद्यालय द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेंसी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जायेगा।

15. सुरक्षा एजेंसी को यह अधिकार होगा कि वह मेनगेट से आने-जाने वाले वाहन, प्रबंधन, कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं संयंत्र, गोदाम, भवनों के परिसर में भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती है।

16. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स बैंक एकाउन्ट के माध्यम से देगी। ये भुगतान श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा न्यूनतम वेतन से कम नहीं होंगे। ईपीएफ अंशदान एवं कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधाओं के लिए समस्त राशि बिल से काटकर महाविद्यालय द्वारा जमा की जा सकेगी। प्रबंधन पक्ष वेतन एवं अन्य एलाउंस का भुगतान निर्धारित काउंटर से एजेंसी प्रतिनिधि के समक्ष कर सकेगी।

17. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे- फैक्ट्री एक्ट, श्रम संविदा अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का सुरक्षा कर्मचारियों के लिए पालन करें यदि दण्ड निर्धारित किया जाता है तो महाविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वे सुरक्षा एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित किया जावेगा।

(Nishant Yadav) (P. Sonwani) (प्रणय राठौर)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

18. सुरक्षा एजेंसी कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हताएँ निर्धारित की जाती है - सुरक्षा अधिकारी एन.सी.सी. सुबेदार या उससे वरिष्ठ अथवा रिटायर्ड पुलिस एस.आई. अथवा समकक्ष अथवा औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा पर्यवेक्षक का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला हो। साथ ही नियोक्ता का मूलतः डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम एच.एस.एस.सी. उत्तीर्ण हो। सुरक्षा पर्यवेक्षक औद्योगिक सुरक्षा का पर्यवेक्षक या समकक्ष कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ एच.एस.एस.सी. पास हो।

19. सुरक्षा एजेंसी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा और न ही ऐसी कोई गतिविधि उनके द्वारा महाविद्यालय परिसर में संचालित की जावेगी।

20. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसी उत्तरदायी होगा। किसी भी स्थिति में सुरक्षा कर्मी एक दिन में लगातार दो शिफ्टों में कार्य नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी अन्यथा एजेंसी का भुगतान रोककर कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार महाविद्यालय को होगा।

21. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिया जावेगा जिसका सुरक्षा एजेंसी के द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।

22. सुरक्षा एजेंसी महाविद्यालय प्रशासन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार समय प्रबंधन एवं ऑफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

23. सुरक्षा एजेंसी डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

24. महाविद्यालय प्रशासन सुरक्षा एजेंसी को किसी भी प्रकार की लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगी।

25. सुरक्षा एजेंसी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करती है तो महाविद्यालय प्रशासन को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(Nishant Yadav) (P. Shrivastava) (प्रणय राठौर)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

26. सुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा। जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।

27. महाविद्यालय प्रशासन के परिसर में धुम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना करने का अधिकार होना। सुरक्षा एजेंसी दोषी सुरक्षाकर्मी को तत्काल महाविद्यालय की सुरक्षा सेवा से हटा देगी।

28. सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड, एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड प्रशासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

29. निविदाकर्ता उनके द्वारा दी गई दरों को संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें।

अनुमानित सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो निम्नानुसार निर्धारित की गई है, यह संख्या महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। निविदाकर्ता अपनी दरें एवं सर्विस चार्जेस का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में ही करें।

पदनाम	दिन शिफ्ट	रात शिफ्ट
सुपरवाइजर		
सुरक्षा गार्ड		

20. यदि महाविद्यालय प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। प्राचार्य द्वारा लिया गया निर्णय सुरक्षा एजेंसी एवं महाविद्यालय प्रशासन को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

(Nishant Yadav) (P. Shrivastava) (प्रणय राठी)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

31. (अ) प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देश, समय-सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा।

नियोजित कामगारों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन कामगारों की न्यूनतम ऊंचाई 170 से.मी. (बिना जूता पहने) तथा न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम या उम्र एवं ऊंचाई के अनुपातिक होना चाहिए। इन जवानों को हिन्दी एवं अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। इन्हें चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ्य होने का प्रमाण पंजीकृत चिकित्सक/शासकीय अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा इनको जारी पहचान पत्र अनुबंध आरंभ होने के साथ-साथ संस्थान में इनसे संबंधित निम्न जानकारियाँ जमा करना होगा : -

01. कामगार का पूरा नाम
02. वर्तमान एवं स्थायी पता
03. शैक्षणिक योग्यता
04. सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन जारी चरित्र प्रमाण-पत्र
05. पासपोर्ट आकार के 03 फोटोग्राफ

(ब) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्ण अनुशासित रहें। एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से महाविद्यालय को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जावेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेंसी से ली जावेगी। इस संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

(स) एजेंसी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लापरवाहीपूर्वक किये जाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर लिया जायेगा। इस संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

(Nishant Yadav) (P. [illegible]) ([illegible])

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)

कार्यालय नोडल अधिकारी
जांजगीर-चाम्पा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट

शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, ग्राम-पेन्ड्री, पो.-जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495 668

दूरभाष नं. 099814-43708, 098266-12408, 094241-44099,

Website-www.jcitm.ac.in, E-mail ID - jcitm2013@gmail.com,

---

32. महाविद्यालय प्रशासन का यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त परिसर हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक ही अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेंसी को आबंटित करें।

33. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जो शर्तें, नियम, ठेका, अवधि, सुरक्षा कर्मियों की संख्या आदि में किये गये संशोधन निविदाकार, द्वारा मान्य करना होगा।

34. महाविद्यालय परिसर में रात्रि में सुरक्षाकर्मी निश्चित स्थान पर टार्च, लाठी एवं सीटी से लैस होकर ड्यूटी करेंगे। उक्त सामग्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा।

सुरक्षा ठेके की उक्त प्रावधान क्रमांक 1 से 34 के तहत ही सुरक्षा एजेंसी का ठेका मान्य होगा।

नोडल अधिकारी
जांजगीर-चांपा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)

(Nishant Yadav)

नोडल अधिकारी,
जांजगीर-चांपा इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट
जांजगीर - चांपा (छ. ग.)